भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2293
09.08.2021 को उत्तर के लिए

उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के कारण

2293. श्री नीरज डांगी :
डा. अमी याज्ञिक :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) सहित उत्तर भारत में गंभीर वायु प्रदूषण के कारणों का आकलन करने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रायोजित अध्ययन करवाया गया है;
(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और खर्च की गई राशि और इसमें शामिल व्यक्तियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई प्रत्यक्ष कदम उठाया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों को वित्त सहित दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) वर्ष 2018 में, द आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (अरई), पुणे, भारत; और ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी), नई दिल्ली द्वारा "मुख्य स्रोतों को अभिज्ञात करने के लिए दिल्ली एनसीआर के पीएम$_{2.5}$ और पीएम$_{10}$ के स्रोत संविभाजन" संबंधी अध्ययन आयोजित किया गया, जिसका वित्त पोषण भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह अध्ययन दर्शाता है कि सर्दी और गर्मी के मौसम के दौरान दिल्ली में अनुमानित पीएम$_{2.5}$ और पीएम$_{10}$ सांद्रणों में औसत क्षेत्रीय योगदान निम्नानुसार है :

पीएम$_{2.5}$		
क्षेत्र	**सर्दी**	**गर्मी**
आवासीय	10%	8%
कृषिकीय सामग्री का दहन	4%	7%
उद्योग	30%	22%
धूल (मृदा, सड़क और निर्माण)	17%	38%
परिवहन	28%	17%
अन्य	11%	8%

पीएम$_{10}$		
क्षेत्र	**सर्दी**	**गर्मी**
आवासीय	9%	8%
कृषिकीय सामग्री का दहन	4%	7%
उद्योग	27%	22%
धूल (मृदा, सड़क और निर्माण)	25%	42%
परिवहन	24%	15%
अन्य	10%	7%

वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली (सफर), भारतीय उष्णकटीबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, सर्दी के मौसम के दौरान दिल्ली में पीएम$_{2.5}$ स्तरों के बाह्य बायोमास दहन के अनुमानित योगदान के आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2018-20 के दौरान प्रतिवेदित औसत और अधिकतम योगदान इस प्रकार हैं :

राज्य	**2020**	**2019**	**2018**
दिल्ली में पीएम$_{2.5}$ के लिए बाह्य बायोमास दहन का औसत योगदान (सफर)	13% (अक्टूबर 10 - 03 दिसंबर)	10% (अक्टूबर 11 - 10 दिसंबर)	12% (अक्टूबर 5 - 29 नवंबर)
अधिकतम योगदान (सफर)	42%	44%	58%

(ग) से (ड.) सरकार द्वारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में वायु गुणवत्ता में सुधार करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

i. अप्रैल, 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए बीएस-IV से सीधे बीएस-VI मानदंडों लागू करना।
ii. फास्टर एडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलैक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम)-2 संबंधी स्कीम को शुरू किया गया है।
iii. दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी और इससे अधिक क्षमता वाले इंजन के डीजल वाहनों पर पर्यावरण संरक्षण शुल्क (ईपीसी) लगाया गया है।
iv. दिल्ली और एनसीआर राज्यों में पेट कोक और भट्टी के तेल को ईंधन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया है।
v. औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में परिवर्तित करना।
vi. अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी उपकरणों की स्थापना करना।
vii. प्रदूषण में कमी करने के लिए ईंट भट्टों को ज़िग-ज़ैग तकनीक में परिवर्तित करना।
viii. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-कचरा, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट को शामिल करते हुए छह (6) प्रबंधन नियमों की अधिसूचना।
ix. बायोमास/कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाना।
x. राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) जैसे कार्यक्रमों के तहत मैनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क के साथ-साथ सतत निगरानी स्टेशनों का विस्तार।
xi. दिल्ली-एनसीआर में संवेदनशील क्षेत्रों से धूल उत्सर्जन नियंत्रण के लिए धूल निरोधकों के प्रयोग हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों और राज्य बोर्डों को परामर्श दिया गया है।

xii. दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामलों के संबंध में लोक शिकायतों 'समीर ऐप', 'ईमेल' (Aircomplaints.cpcb@gov.in) और 'सोशल मीडिया नेटवर्क' (फेसबुक और ट्विटर) के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

xiii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वायु प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में विभिन्न कार्य बिंदुओं के लिए अभिज्ञात समय-सीमा सहित एक व्यापक कार्य योजना (दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएपी) विकसित और कार्यान्वित की गई है।

xiv. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वायु प्रदूषण संबंधी आपातकाल की रोकथाम और उससे निपटने के लिए एक वर्गीकृत प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) तैयार और कार्यान्वित की गई।

xv. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राजय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्ट के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए 'कृषिगत मशीनीकरण के संवर्धन' संबंधी दो (2) वर्षीय योजना, वर्ष 2018 में केन्द्र सरकार द्वारा पराली जलाने की समस्या के प्रबंधन हेतु शुरू की गई थी जिसके निम्नलिखित तीन प्रमुख घटक (100% केन्द्र का हिस्सा) हैं।

- स्वस्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन मशीनरी का फार्म मशीनरी बैंक या कस्टम हाइरिंग केन्द्रों की स्थापना।
- स्वस्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन हेतु कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद करना।
- स्वस्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन संबंधी जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा और संप्रेषण।

उपरोक्त स्कीम के तहत, प्रत्येक किसान को फार्म मशीनों और उपकरणों की खरीद के संबंध में 50% की सब्सिडी उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि फसल अवशिष्ट प्रबंधन के कस्टम हाइरिंग के लिए फार्म मशीन बैंकों की स्थापना हेतु किसानों की सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठन, पंजीकृत किसान सोसाइटी और ग्राम पंचायतों को परियोजना लागत पर 80% सब्सिडी प्रदान की गई। केंद्र सरकार द्वारा उपरोक्त स्कीम वर्ष 2018 से चलाई जा रही है और इसके तहत वर्ष 2018-21 के दौरान 1726.67 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 1726.67 करोड़ रुपए में से 793.18 करोड़ रुपए पंजाब को, 499.90 करोड़ रुपए हरियाणा को, 374.08 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को, 4.52 करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली को और 54.99 करोड़ रुपए आईसीएआर और अन्य केन्द्रीय अभिकरणों को जारी किए गए थे।

xvi. पीएम$_{10}$ और पीएम$_{2.5}$ स्तरों में वर्ष 2017 के स्तरों से वर्ष 2024 तक 20% से 30% की कमी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरे देश में केन्द्रित ढंग से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु एक व्यापक योजना के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) भी शुरू किया गया है। हालांकि, पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों के तहत केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरों को अभिज्ञात किया गया है और इनमें से दस लाख से अधिक मानकों को पूरा न करने वाले 34 शहर और दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले आठ (08) अन्य शहर हैं। शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजना तैयार की गई है और पंजाब के 9 शहरों, हरियाणा के 01 शहर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में कार्यान्वयनधीन है।

xvii. एनसीएपी के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश को 60.63 करोड़ रुपये और पंजाब को 27.52 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा, वायु गुणवत्ता सुधार के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को क्रमश: 714 करोड़ रुपये, 48 करोड़ रुपये और 90 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। शहर-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान एनसीएपी के तहत प्राप्त अनुदानों का ब्यौरा (करोड़ रु. में)

राज्य	क्र.सं.	शहर	वित्तीय वर्ष : 2019-20			वित्तीय वर्ष : 20-21			कुल जारी की गई संचयी निधि	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
			प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल	तृतीय किश्त	चौथी किश्त	कुल		
उत्तर प्रदेश	1.	आगरा	6.00	3.45	48.47			12.16	60.63	10.04
	2.	इलाहाबाद	6.00	3.45						
	3.	कानपुर	6.00	3.45						
	4.	लखनऊ	6.00	3.45						
	5.	वाराणसी	6.00	3.47						
	6.	मुरादाबाद	0.12	0.08			1.90			
	7.	बरेली	0.12	0.08			1.90			
	8.	फिरोजाबाद	0.12	0.08			1.90			
	9.	झांसी	0.12	0.08			1.14			
	10.	खुर्जा	0.06	0.04			1.90			
	11.	अनपरा	0.06	0.04			1.14			
	12.	गजरौला	0.06	0.04			1.14			
	13.	रायबरेली	0.06	0.04			1.14			
पंजाब	14.	लुधियाना	6.00		12.48			15.04	27.52	4.70
	15.	अमृतसर	6.00							
	16.	जालंधर	0.12			4.00				
	17.	खन्ना	0.06				1.90			
	18.	गोबिंदगढ़	0.06			3.00				
	19.	नया नंगली	0.06			1.00				
	20.	पठानकोट/डेरा बाबा	0.06				0.76			
	21.	पटियाला	0.06			4.00				
	22.	डेरा बस्सी	0.06				0.38			

पंद्रहवें वित्त आयोग 2020-21 की सिफारिशों के अनुसार स्वीकृत की गई धनराशि

राज्य	क्र.सं.	शहरी समुदाय	स्वीकृत धनराशि	जारी की गई राज्य-वार धनराशि करोड़ रु. में
उत्तर प्रदेश	1.	आगरा यू.ए.	90	714
	2.	इलाहाबाद यू.ए.	62	
	3.	गाजियाबाद यू.ए.	121	
	4.	कानपुर यू.ए.	148	
	5.	लखनऊ यू.ए.	148	
	6.	मेरठ यू.ए.	72	
	7.	वाराणसी यू.ए.	73	
हरियाणा	10	फरीदाबाद	48	48
पंजाब	25	अमृतसर यू.ए.	38	90
	26	लुधियाना	52	

*****